तारीख हुक्म	
23/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. गीतकौन आ... 2/1/26 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....आ.वा.प. ... दिनांक 6/1/26 ... वास्ते ... को पेश हो। ... दिनांक ... को पेश हो।
06/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप./ वकील पक्षकारान की प्रा०पत्र धारा 212 RTIA पर बहस सुनी गई बहस पर मना किया गया। प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA को अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023

कान पुत्र गणेश जाति जाट (सारण) उम्र करीबन 80 वर्ष निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। प्रार्थी

वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

निर्णय दिनांक 06.01.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वाभाविक है परन्तु प्रार्थी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जा रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग, आंवटनशुदा आराजी ग्राम् चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजरथान में अविस्थत है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 319 रकबा 46 बीघा 2 विस्वा किस्म बंजर के वर्तमान खसरा नम्बर 461/319 रकबा 1.4562 हैक्टेयर किस्म् बंजर भूमि में प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.1966 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत जरिये सरपंच श्री छोटूराम के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है तत्पश्चात् दिनांक 27.05.1966 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ द्वारा खसरा नम्बर 319 में से 10 बीघा भूमि प्रार्थी को गैरखातेदारी में आंवटन / अलाटमेन्ट की गयी तत्पश्चात् से प्रार्थी सतत् रूप से वर्णित आराजीयात में काबिज काश्त व उपयोग—उपमोग करता आ रहा है। प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात में सतत् रूप से काबिज काश्त होने का प्रमाण के लिये सम्वत् 2023 व सम्वत 2024 की पी—14 खसरा परिवर्तनशील में कब्जा काश्त अंकित है एवं सम्वत 2031 से 2034 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थी को 10 बीघा भूमि गैरखातेदार के रूप में कॉलम संख्या 32 में अंकन किया गया हैं जब से सतत् रूप से काबिज काश्त है, चूंकि सम्वत 2031 से 2034 के समय भू—संशोधन होने के कारण जमाबन्दी तेयार न होकर खसरा गिदावरी में ही अंकन किया जाता था एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 को एक आधार जमाबन्दी एवं रिकार्ड ऑफ राईटस के अधिकार प्रद्वत्त किये गये थे। आवंटन होकर गैरखातेदारी इन्द्राज होने के पश्चात् प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2041 अर्थात वर्किंग जमाबन्दी राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी जिसमें अप्रार्थी द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन नियमन एवं गैरखातेदारी अधिकार दिये गये है उनका इन्द्राज वर्किंग जमाबन्दी में करना चाहिए था परन्तु वर्किंग जमाबन्दी मे नाम इन्द्राज नहीं होने से आज दिन तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सरकारी खाते में किस्म बंजर 2 अंकित रह गया जो प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है जबकी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का अधिकार अप्रार्थी को है अप्रार्थी राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर एक भू—धारी है जिसको रिकार्ड का संघरण करने का दायित्व अधिकारी होते हुये भी पूर्व इन्द्रा को वर्किंग जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं करने से संहवन से त्रुटि होने से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पक्ष में आवंटन एवं गैरखातेदारी का अंकन नहीं हो सका। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो में कलैक्टर अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि भू—संशोधन के अवशेष के प्रकरण मानते हुये सन् 1999 में आदेश पारित किये कि लगातार काबिज काश्त काश्तकारों को नियमन करने अथवा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा अनुशंषा करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार अर्थात अप्रार्थी द्वारा विधि के तहत कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थी को अथवा इनके पूर्वाधिकारियो को नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। इसके लिये अप्रार्थी का उत्तरदायित्व है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी लगातार निर्वाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थी अनुतोषदायी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजी में अथाह आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके भूमि को उपजाउ योग्य तैयार किया गया है। जो सुधार कि श्रेणी में आता है। फिर भी अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुधारपंजिका दि जाती है। जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा किये गये सुधार का विवरण दिया जाता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा सुधार पंजिका में भी उल्लेखित नहीं किया गया है। इस कारण से अप्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लक्षण प्रकट होते है एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी अर्थात पटवारी हल्का को भी घटना बही पंजिका राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदत्त कि जाती है। जिसमें समस्त काश्तकारों एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित व्यक्तियों कि जानकारी रखी जाती है। परन्तु सरकार द्वारा प्रतिपादित विधियों का निचले स्थर पर सही क्रम में अर्थात विधिका क्रम में कार्यवाही नहीं करने से लम्बे अर्से से काबिज, सद्भाविक काश्तकार विधिक अनुतोष प्राप्त करने से वंचित रह जाते है जिसका मुख्य कारण अप्रार्थी के विधिक दायित्वो का सही निर्वहन नहीं किया गया है।

प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी एक सद्भाविक कृषक व भूमिहीन व्यक्ति वाद वर्णित आराजी में दिनांक 27.05.1966 से अर्थात विगत 50–55 वर्षों से काबिज काश्त रहकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थी वर्णित आराजी में काबिज रहने का एवं आवंटन होने का अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान है, प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है, आवंटन के समय उपरोक्त आराजीयात की किस्म बंजर थी। जो धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती थी। प्रार्थी पिछड़ी जाति का निम्न श्रेणी का व्यक्ति है एवं सतत् रूप से वर्णित आराजी में काबिज काश्त होने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) प्रावधान किया गया है कि "15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिये सामान्य श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण से, पडौस में स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य से प्रसारित किया जायेगा यदि वे अतिक्रमी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडी जाति/गरीब रेखा श्रेणी से निचे से सम्बन्धित हो" इस प्रकार प्रार्थी पूर्णत इन नियमो का पालना सतत् रूप से किया जा रहा है एवं पीछडी जाति से सम्बन्ध रखता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में प्रत्येक वार्षिक वर्ष की समाप्ती अथवा मध्यान्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व क्रेम्प का आयोजन किया जाता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तो प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन/अलाटमेन्ट करके गैरखातेदारी में दर्ज था, परन्तु वर्किंग जमाबन्दी के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया। प्रार्थी वर्णित आराजी में विगत 50–55 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थी के पक्ष में वाद वर्णित आराजी में खातेदार घोषित कर खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने के प्रार्थी कानूनन् अधिकारी है। प्रार्थी वाद वर्णित आराजी में विगत 50–55 वर्षों से निरन्तर रूप से अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान होने के बावजूद काबिज काश्त है। जिसका प्रमाण पी–14 की प्रमाणित नकल प्रमाण हेतु प्रस्तुत है इस प्रकार प्रार्थी सतत् रूप से काबिज होने से अप्रार्थी का राजकिय दायित्व था जिससे प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन / अलॉमेन्ट होकर गेरखातेदारी में दर्ज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.08.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थी विगत 50–50 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है एवं उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थी के पक्ष में आवंटन/अलॉटमेन्ट दिनांक 27.05.1966 को किया गया है इस कारण प्रार्थी के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज.–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। जबकी प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में आवंटन के समय से ही विगत 50–55 वर्षों से लगातार निर्वाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है चुंकि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन /अलॉटमेन्ट किया गया है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैअप्रार्थी अपने अवैध मन्सुर्वे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी की कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, आंवटनशुदा आराजी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अविस्थत है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 319 रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजर अलग–अलग खसरा नम्बर मिन बट्टा कायम किये गये जो खसरा नम्बर 319/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 461/319 रकबा 1.4562 हैक्टेयर किस्म बंजर भूमि में प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने हेतु एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाई जावे।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2023 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में वादअधीन भूमि राजकीय भूमि है एवं प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण को खारिज किया जावे।

दिनांक 06.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का. अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।
प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।
सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।
अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है, जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणीय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहे हैं है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)